dated the 6th December, 2000, G.S.R. 679(E), dated the 4th October, 2002, G.S.R. 768(E), dated the 15th November, 2002, G.S.R. 585(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 690(E), dated the 27th August, 2003, G.S.R. 755(E), dated the 19th November, 2004, G.S.R. 291(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 956(E), dated the 7th December, 2010, G.S.R. 844(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 225(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 496(E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 588(E), dated the 13th August, 2014, G.S.R. 350 (E) dated the 29th March, 2016, G.S.R. 940 (E), dated the 30th September, 2016 and G.S.R. 388(E) dated the 31st March, 2017.

अधिसुचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि.1238(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- 2. राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियम, 1989 में, नियम 4 में, उप-नियम (3) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रति:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"परंतु कि यदि एक निवासी भारतीय प्रमाणपत्र खरीदकर, करेंसी की परिपक्वता अविध के दौरान अनिवासी हो जाता है तो जिस दिन वह अनिवासी बन जाता है उस दिन पत्र का भुगतान होगा या भुगतान किया हुआ माना जाएगा और समय-समय पर डाकघर बचत खाते पर लागू दर से ब्याज का भुगतान उस दिन से भुगतान किए जाने के पहले के महीने के आखिरी दिन तक, जिसमें यह वास्तव में भुगतान किया गया हो, किया जाएगा।"

[फा. सं. 1/10/2016-एनएस.II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे सा.का.नि. 508(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 120(अ), तारीख 8 मार्च, 1995, सा.का.नि. 7(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 491(अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 47(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 156(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 572(अ), तारीख 2 अगस्त, 2001, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 711(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2002, सा.का.नि. 179(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 591(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 820(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2003, सा.का.नि. 289(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 744(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 842(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 318(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 397(अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि. 226(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि. 494(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 354(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि. 944(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, सा.का.नि. 54(अ), तारीख 18 जनवरी, 2017 और सा.का.नि. 382(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2017

- G.S.R. 1238 (E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificate Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificate(VIII-Issue) Rules, 1989, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the National Savings Certificate (VIII-Issue) (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Savings Certificate (VIII-Issue) Rules, 1989, in rule 4, in sub-rule (3), for the existing proviso the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that if a resident Indian having purchased a certificate, subsequently becomes Non-Resident during the currency of the maturity period, the certificate shall be encashed or deemed to be encashed be encashed on the day he becomes a non-Resident, and ab interest shall be paid at the rate applicable to the Post Office Savings Account, from time to time, from such day and upto the last day of the month preceding the month in which it is actually encashed"

[F. No. 1/10/2016-NS.II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, Section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989 and subsequently amended *vide* notification numbers: G.S.R. 508(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 8th March, 1995, G.S.R. 7(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 572(E), dated the 2nd August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17th October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16th October, 2003, G.S.R. 289(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 744(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R. 842(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 318(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 397(E), dated the 25th June, 2013, G.S.R. 226(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 494(E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 354(E), dated the 29th March, 2016, G.S.R. 944(E) dated the 30th September, 2016, G.S.R. 54(E) dated the 18th January, 2017 and G.S.R. 382(E), dated the 31st March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 1239(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987 में और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987 के नियम 5, उप-नियम 1 में "एक हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "एक सौ" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/10/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987, को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे अधिसूचना सं. सा.का.नि. 805(अ), तारीख 21 जुलाई, 1988, सा.का.नि. 46(अ), तारीख 20 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 581(अ), तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. 430(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 390(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 45(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000,